कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः एम0ई0–3/पी0जी0–2024/428 लखनऊःदिनांक 22 फरवरी, 2025

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 के अन्तर्गत स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय/चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरो पर सम्पन्न करायी जायेगी।
3. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय मूल शैक्षणिक/श्रेणी/उपश्रेणी एवं अन्य प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
5. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा। यदि निजी क्षेत्र के कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शिक्षण शुल्क लिया जाता है, तो उसके लिये स्वतंत्र है। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध है।
6. **निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों के शुल्क निर्धारण संबंधी शासन की विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–सी–10329/2024 जी0एस0 मेडिकल कालेज कालेज एण्ड हास्पिटल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य सहबद्ध योजित याचिकाओं में मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 10.01.2025 के अनुक्रम में शुल्क का निर्धारण शासन स्तर पर गठित फीस नियमन समिति के अन्तिम आदेशों के अधीन होगा।**
7. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को कालेज स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराना अनिवार्य है।

कृते महानिदेशक।